तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की तारी में जारी हु
25.11.22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, तहसीलदार माण्डल द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा०प० किया गया। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पटवार हल्का पटवारी माण्डल द्वारा निर्णय व डिक्री की पालना नामान्तरण सं. 5302 दिनांक 27.5.22 द्वारा की जा चुकी है। जमाबंदी संलग्न है। अत: उक्त प्रकरण मे अब कोई कार्यवाही शेष नही रहने से पत्रावली इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:42:21 IST
Reason: SelfAttested

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–21/16 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89–91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री लतीफ मोहम्मद अंसारी पिता इब्राहिम मुसलमान, उम्र बालिग निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) –––––वादी

बनाम

1–श्री मकबूल अहमद पिता इब्राहिम मुसलमान, उम्र बालिग निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) –––प्रतिवादीगण

––––

वादी की ओर से श्री रोशन लाल रेगर, एडवोकेट और प्रतिवादीगण की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 21.4.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस म० के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री वहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नं0 3409/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 3410 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादी तथा आराजी संख्या 3405/1 रकबा 9 बिस्वा, 3406 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाताहैं। उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा आपस में इस आशय की जारी की जाती है कि वह एक दूसरे के खाते व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(देवीसिंह रावत)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 22.4.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:42:21 IST
Reason: SelfAttested

फोटोस्टेट प्रति

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मांडल

कोर्ट फी Re.1 ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY